



पटना विश्वविद्यालय
PATNA UNIVERSITY

कार्यालय आदेश

प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों द्वारा संचिका का निष्पादन काफी विलम्ब से किया जा रहा है। इस समय संचिका के निष्पादन नहीं होने से विश्वविद्यालय की गरिमा भी शिक्षा विभाग एवं अन्य स्थानों पर धूमिल हो रही है।

अतः एतद द्वारा निदेशित किया जाता है कि संचिकाओं के प्राप्ति के 03 दिनों के अन्दर उसका निष्पादन कर दिया जाय। यदि ऐसा नहीं होता है तो विश्वविद्यालय के व्यापक हित में जिम्मेदार कर्मी पर नियमानुकूल कार्यवाई की जाएगी।

कृपया सर्वाच्च प्राथमिकता के साथ इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

माननीय कुलपति के आदेश से

Shelini
17-8-2024
कुलसचिव

पटना विश्वविद्यालय, पटना

दिनांक 17.08.2024

ज्ञापांक 334/R

प्रतिलिपि :-1. सभी संकायों के संकायाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय 2. सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय 3. सभी संस्थानों के निदेशक, पटना विश्वविद्यालय 4. सभी संबद्ध इकाईयों के प्रभारी पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय 5. सभी पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय 6. सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय 7. प्रभारी पदाधिकारी, आइ0 टी0 सेल0, (विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड हेतु) पटना विश्वविद्यालय 8. कुलपति के सचिव, पटना विश्वविद्यालय 9. कुलसचिव के निजी सहायक, पटना विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Shelini
17-8-2024
कुलसचिव

पटना विश्वविद्यालय, पटना

Shelini
17/8/24